"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018 — पौष 26, शक 1939

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7(पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| "2. | सहायक ग्रेड-तीन | 21 वर्ष | 30 वर्ष | (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण<br>या<br>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.<br>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)." | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7(पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th January 2018

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7(PF-2).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-III, for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| "2. | Assistant Grade-III | 21 Years | 30 Years | (1) Passed (10+2) Examination from any recognized board,<br>OR<br>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.<br>(2) One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.<br>(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)." | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.